पत्रांक अ0नि0 (01)40/2022/स्था0 301 /

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक–02, द्वितीय तल,पटना–15।

प्रेषक,

प्रभुनाथ सिंह
निदेशक अभियोजन

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 03/02/23

विषयः– **अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के अधीनस्थ क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों में सेवानिवृत निम्नवर्गीय लिपिक के संविदा नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के अधीनस्थ क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों में सेवानिवृत निम्नवर्गीय लिपिक के संविदा नियोजन हेतु विज्ञापन प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विज्ञापन प्रारूप को बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

3/2/2023

निदेशक अभियोजन

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

विज्ञापन

सेवानिवृत निम्नवर्गीय लिपिक के 79 पदों पर संविदा आधारित नियोजन।

अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर सेवानिवृत निम्नवर्गीय लिपिक को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक– 10000 दिनांक 10.07.2015 के आलोक में संविदा के आधार पर निम्न शर्तों के तहत नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

1. **पदनाम एवं संख्या**–निम्नवर्गीय लिपिक–79 (उन्नासी)
2. **पदः–** अनारक्षित–34(चौतीस) पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग– 08 (आठ) अनुसूचित जाति–13(तेरह) पद, अनुसूचित जनजाति–01(एक) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–14(चौदह) पद, पिछड़ा वर्ग–07(सात) एवं पिछड़े वर्गों की महिला–02 (दो)।
3. **महिलाओं के लिए आरक्षित पदः–**

   अनारक्षित–12, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग– 02, अनुसूचित जाति–05, अनुसूचित जनजाति–00, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–05, पिछड़ा वर्ग–02।
4. **स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित पद–02**
5. **दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदः–**

   दृष्टि बाधित–01, अस्थि विकलांग–01, मूक बधिर–01 एवं मनोविकार दिव्यांगता–01
6. **निम्नलिखित जिला/अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिकों की रिक्तियाँ उपलब्ध हैः–**

   (i) जिला अभियोजन कार्यालयः– अररिया, आरा(भोजपुर), अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ, भागलपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा(बिहारशरीफ), नवादा, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम(रोहतास), शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल एवं वैशाली(हाजीपुर)

   (ii) अनुमंडल अभियोजन कार्यालयः– पीरो, जगदीशपुर, दाउदनगर, तेघड़ा, बखरी, मंझौल, बलिया, नरकटियागंज, बगहा, मोहनियाँ, कहलगाँव, नवगछिया, डुमराँव, सोनपुर, बेनीपुर, बिरौल, शेरघाटी, बारसोई, गोगरी, उदाकिशुनगंज, झंझारपुर, बेनीपट्टी, अरेराज, रक्सौल, सिकरहना, मुजफ्फरपुर (प0), हिलसा, दानापुर, बाढ़, पटनासिटी, मसौढ़ी, पालीगंज, बनमन्खी, धमदाहा, वायसी, दलसिंहसराय, रोसड़ा, शाहपुरपटोरी, डेहरी–ऑनसोन, विक्रमगंज, पुपरी, बेलसंड एवं वीरपुर

Ytrishi.in

7. आवेदन हेतु प्रपत्रः–

अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के अधीनस्थ क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों में सेवानिवृत निम्नवर्गीय लिपिक की संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन–पत्र का प्रपत्र

कृपया अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं।

1. आवेदक का नाम–...
2. आवेदक के पिता/पति का नाम–.................................
3. स्थायी पता–..
   ....
4. पत्राचार का पता–..
   ....
5. आवेदक की जन्म तिथि एवं सेवानिवृति की तिथि–.......................................
   (जन्म से संबंधित प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
6. शैक्षणिक योग्यता–..
   (सभी प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
7. आरक्षण कोटि–..
   (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
   (आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही अनुमान्य होगा।)
8. कार्यालय का नाम जहॉ से सेवानिवृत्त हुए हैः–...
9. सेवानिवृत्ति के समय–पदनामः–..
10. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतन/ पे बैण्ड/ मंहगाई भत्ता/ एवं अन्य कुल प्राप्त होने वाली राशिः–..
11. वर्त्तमान में पेंशन की राशिः–...
12. आरोप की स्थितिः–..............
13. दण्ड की स्थिति (सेवा काल के अंतिम 10 वर्षों में वृहत दंड/अंतिम 05 वर्षों में लघु दंड/पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन से कटौती का दंड, यदि हॉ तो विवरणी सहित):–
14. आधार कार्ड नं0–..
    (आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
15. मोबाईल नं0–...

नोट–

1. **आवेदन सादे कागज पर टंकित कराकर सेवानिवृत सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्री विभाग की सहमति से प्रेषित किया जायेगा।**
2. **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जायेंगा।**

घोषणा–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपाई गई है, और न ही अनुचित ढ़ग से प्रस्तुत की गई है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गई सूचना से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

8. सेवा की शर्तें:–

(i) विज्ञापन की अंतिम तिथि को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होंगी तथा चयन प्रथमतः दो वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

(ii) नियोजित कर्मियों के कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(iii) नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 के कंडिका–3(6)(i) अथवा 3(7)(iii) के अनुरूप मान्य होगा।

(iv) अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

(v) अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों में से किसी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर संविदा समाप्त की जा सकेगी।

(vi) इच्छुक सेवानिवृत निम्नवर्गीय लिपिक पूर्ण विवरण के साथ आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2023 के अपराह्न 5:00 बजे तक निबंधित डाक से या व्यक्तिगत रूप से अभियोजन निदेशालय, मुख्य सचिवालय परिसर स्थित ब्लॉक–02, पटना–15 के कार्यालय में प्राप्त करायेंगे।

(vii) निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने या आवेदन विहित प्रपत्र में नहीं होने या आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में अभ्यर्थियों का आवेदन स्वतः अमान्य होगा तथा उनकी नियुक्ति/चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(viii) नियमित नियुक्ति होने पर संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ix) सेवानिवृत सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 10000 दिनांक 10.07.2015, पत्रांक 3815 दिनांक 11.03.2016 एवं समय समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आधार पर की जाएगी।

3/2/2023

(प्रभुनाथ सिंह)
निदेशक अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय
बिहार, पटना।